अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदे I–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 65/2013

गौरी कांत कुमर — अपीलार्थी

वनाम

बालकृष्ण यादव एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्टस

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद गौरी कांत कुमर द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 11.12.2012 ई0 अन्दर बी0एल0डी0आर0एक्ट वाद संख्याः 77/2012 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि विवादी भूमि खाता सं०: 444, खेसरा सं०: 3278, रकवाः 2 बीघा 11 कट्ठा 12 धूर भूमि तथा खेसरा सं०: 3276 में 3 कट्ठा अंदर खाता सं०: 422 कुल रकवाः 2 बीघा 14 कट्ठा 12 धूर भूमि साबिक जमींदार श्री सत्येन्द्र प्रसाद गुप्ता तथा भुपेन्द्र प्रसाद गुप्ता की बकास्त भूमि साबिक खतियान में अंकित है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के पिता श्री शोभा कांत कुँवर को साविक जमींदार वाजिब सलामी यानि मालगुजारी लेकर सन् 1361 फसली यानि सन् 1954 ई० में बंदोबस्ती कर दिया और उस पर बंदोबस्ती रैयत को अधिकार एवं दखल दे दिया और मालगुजारी सन् 1954 ई० से लगायत सन् 1365 फसली तक यानि सन् 1958 ई० तक मालगुजारी रसीद शोभा कांत कुवर को दिया और उस दिन से शोभा कांत कुँवर एवं उनके लड़केगान अपनी उक्त बंदोबस्ती जमीन पर हकदार व दखलकार रहते आये तथा उसमें 5 बॉसबीट भी लगाये जो अभी भी मौजूद है एवं उनके मरने के बाद उनके तीनों लड़के कमला कांत कुँवर, श्रीकांत कुँवर एवं गौरी कांत कुँवर इजमालन उस जमीन पर दखलकार रहकर जोत आबाद कर फसल भोग तसरूफ करते आये। बिहार सरकार के सिरिस्ता में भी गौर कांत कुंवर के पिता ोभा कांत कुंवर के नाम से मालगुजारी देकर बिहार सरकार से मालगुजारी रसीद जमाबंदी सं०: 126/4 के अंदर अपीलार्थी रसीद हासिल सन् 1965 ई० से करते चले आ रहे हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी की उक्त जमीन खाता नं० 444 एवं 422 जमाबंदी नं०: 126/4 तथा अन्य जमीन जमाबंदी नं० 391 एवं 517 के निस्वत बकाया मालगुजारी की वसूली के लिए बिहार पब्लिक डिमांड रिकॉभरी एक्ट की धारा 7 के अंदर श्री शोभा कांत कुंवर एवं उनके भाई देवा कांत कुंवर के खिलाफ नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई किया जाना बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि स्व० तोफा लाल (कुंवर) के तीन लड़के इजमाल परिवार में रहते थे। उमा कांत कुंवर तथा देवा कांत कुंवर छोटे भाई तथा शोभा कांत कुंवर परिवार के कर्त्ता व प्रबंधक थे, जिस कारण खाता नं० 444 एवं 422 के अंदर जमीन रकवा 2 बीघा 14 कट्ठा 12 धूर की बंदोबस्ती शोभा कांत कुंवर के नाम की गई। देवा कांत कुंवर एवं उमा कांत कुंवर अपने भाई शोभा कांत कुंवर के इजमाल हालत में नावल्द मर गये जिस वजह से बंदोबस्ती जमीन पर शोभा कांत कुंवर बाय लॉ ऑफ सरभाईभरशीप के अंदर दोनों नावल्द भाई (मृत) के हिस्से की जमीन पर भी खास हकदार व दखलकार हुए एवं रहते आये। इस बंदोबस्ती जमीन में विवादी जमीन खेसरा नं० 3278 रकवा 1 बीघा 15 कट्ठा जमीन अंदर खाता नं० 444 भी शामिल बतलाते है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि बिहार सरकार को शोभा कांत कुंवर ने अपनी उक्त बंदोबस्ती जमीन जमाबंदी नं० 126/4 के साथ अन्य जमाबंदी नं० 391 एवं 517 के अंदर भूमि की बकाया मालगुजारी बिहार सरकार को अदाय कर दिया जिस पर बिहार सरकार सन् 1965–66 ई० शोभा कांत कुंवर को विवादी भूमि के साथ अन्य भूमि की मालगुजारी रसीद देने लगी। बिहार सरकार के द्वारा जमाबंदी संख्याः 126/4 निर्गत मालगुजारी रसीद पर विवादी भूमि जमीन खाता नं०: 444 एवं 422 अंकित बतलाते है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि शोभा कांत कुंवर के नाम से विवादी भूमि की बिहार सरकार के द्वारा निर्गत मालगुजारी रसीद सन्: 1965–66 ई० से लेकर सन्: 2013–14 ई० तक अपीलार्थी को हासिल है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि ोभा कांत कुंवर ने अपनी उपरोक्त बंदोबस्ती भूमि में से पुराना खेसरा सं० 3278 नया खेसरा नं० 5842 रकवा 10 डीसमल यानि 2 कट्ठा 10 धूर भूमि भूदान में दिनांकः 08.10.1954 ई० को दान कर दिये जो भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता अंदर भूदान यज्ञ अधिनियम के द्वारा संपुष्ट होकर भूमिहीन को वितरण कर दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि हाल सर्वे में पुराना खेसरा सं०–3278 पुराना खाता सं०–444 से नया खेसरा सं०–5838, 5841, 5842, 5843 बगैरह बने हैं। जिसका खाता शोभा कांत कुंवर के नाम से अंकित हुआ है, लेकिन सर्वे अमला की भूल से इसका रकबा कम अंकित हुआ है, जिसके खिलाफ अपीलार्थी की ओर से चकबंदी अधिनियम में केस दाखिल है जो लंबित है। चूँकि चकबंदी प्रक्रिया सरकारी आदेश से स्थगित है। विवादी भूमि के मौजा–गोविंदपुर का सर्वे एवं चकबंदी प्रक्रिया नॉट फाईनल है जिसकी अभी अंकित कम रकवा की कुछ भी कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसे यह भी साबित होता है कि विवादी भूमि के साथ अन्य भूमि पर अपीलार्थी के खानदान का हक दखल कब्जा सन्: 1954 ई० से ही चला आ रहा है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी ने विवादी खेसरा सं० 3278 में नवाजी 1 बीघा 10 कट्ठा भूमि अपनी बेटी के विवाह के लिए बाबू नन्द यादव पिता कुंजी लाल यादव को मो०–18,000/– रूपये पाकर सूदभरना दस्तावेज दिनांकः 21.01.2003 ई० के द्वारा सूदभरना दिया जिस पर सूदभरना दखलकार चला आ रहा है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते

हैं कि खुद प्रतिवादी सं०–1 बालकृष्ण यादव एवं अन्य आदमी रामचंद्र यादव ने वाजिब कीमत अदाय कर विवादी भूमि खेसरा सं०–3278 नया खेसरा सं०–5842 एवं 5838 में से 1 कट्ठा के साथ अन्य भूमि कुल 2 कट्ठा भूमि अपीलार्थी के छोटे भाई कालीकांत कुमर से केवाला सं०–6122 दिनांकः 17.11.2011/21.11.2011 ई० के द्वारा खरीद किया है। इस केवाला पर प्रतिवादी सं०–2 विवेकानंद यादव वगैरह है जिनका फोटो तथा हस्ताक्षर है। उक्त केवाला के प्रथम पृष्ठ के पीछे वाले पृष्ठ पर खरीददार प्रतिवादी सं०–1 बालकृष्ण यादव एवं रामचंद्र यादव तथा गवाह प्रतिवादी सं०–2 विवेकानंद यादव का हस्ताक्षर निशान तथा फोटो अंकित रहना बतलाते है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि कृपानंद यादव एवं रामचंद्र यादव पिता अगम लाल यादव ने वाजिब कीमत अदाय कर अपीलार्थी के दूसरे छोटे भाई कमाल कांत कुमर से केवाला सं०–6121 दिनांकः 21.11.2011 ई० के द्वारा विवादी भूमि पुराना खेसरा सं०–3278 नया खेसरा सं०–5838, 5841 एवं 5842 में से मवाजी 3 कट्ठा 17 धूर खरीद किये। इस केवाला की पीठ पर भी प्रतिवादी सं०–2 विवेकानंद यादव वगैरह का हस्ताक्षर, फोटो एवं निशान सिप्त बतलाते है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि वासुदेव यादव पिता–स्व० बरीश लाल यादव ने भी वाजिब कीमत अदाय कर विवादी भूमि पुराना खेसरा सं०–3278 नया खेसरा सं०–5838 में मवाजी 6 कट्ठा भूमि केवाला सं०–5528 दिनांकः 17.10.2011 ई० के द्वारा अपीलार्थी के भाई काली कांत कुमर से खरीद किया जिस पर खरीददार हकदार वो दखलकार चले आ रहे हैं और बिहार सरकार सिरिस्ते में वासुदेव यादव के नाम से मुटेशन होकर जमाबंदी संख्याः 276 के अंदर उन्हें मालगुजारी रसीद हासिल है। रसीद पर खाता सं०–444, खेसरा सं०–3278 अंकित होना बतलाते है। आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के भाई कमला कांत कुमर तथा काली कांत कुमर ने उपरोक्त वासुदेव यादव को 6 कट्ठा, 1 कट्ठा प्रतिवादी संख्याः 1 तथा कृपानंद यादव को 3 कट्ठा 17 धूर भूमि खेसरा सं०–3278 में से भूमि बेच दिये इसलिए उसके बाद अपीलार्थी तथा उनके भाई अभी बांकी 2 बीघा 3 कट्ठा 15 धूर भूमि खाता सं०–444 एवं 422 पर हकदार वो दखलकार हैं। चूँकि प्रतिवादी बालकृष्ण यादव तथा कृपानंद यादव ने अपीलार्थी के भाई से खरीदी गई भूमि का मुटेशन नहीं कराया है इसलिए शोभा कांत कुमर के नाम से अभी भी जमाबंदी संख्याः 126 में 2 बीघा 8 कट्ठा 12 धूर की जमाबंदी चल रही है, जिसमें विवादी भूमि भी ाामिल होना बतलाते है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि पुराना खेसरा सं०–3278 का पूरा खतियानी रकवा–2 बीघा 11 कट्ठा 12 धूर है। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता ने इसमें से 1 बीघा 15 कट्ठा प्रतिवादीगण की दादी कारी देवी के नाम से तथा 19 कट्ठा 12 धूर अपीलार्थी के पिता ाोभा कांत कुमर के नाम से साबिक जमींदार द्वारा बंदोबस्त करने की बात का उल्लेख किया है। दोनों बंदोबस्ती को जोड़ने पर कुल रकवा–2 बीघा 14 कट्ठा 12 धूर होता है जो गलत होना बतलाते है।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में जमाबंदी नं० 126/4 का 1965 से अद्यतन मालगुजारी रसीद, खाता संख्या 444 एवं 422 के अन्दर जमीन रकबा 2 बी० 14 कअ्ठा 12 धूर की बंदोबस्ती की छाया प्रति, पुराना खेसरा नं० 3278 रकबा 10 डी० धूर जमीन भूदान में वर्श 1954भूमिहीन के बीच वितरण संबंधी पत्र की छाया प्रति, पाट कृशक पहचान पत्र की छाया प्रति, फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा संबंधी ापथ पत्र की छाया प्रति, भूमि स्वामित्व एवं मूल्यांकन प्रमाण पत्र की छाया प्रति, सूदभरना दस्तावेज बहक बाबू नंद यादव की छाया प्रति, केवाला नं06122 दि० 17/11/11/21/11/11 को क्रय संबंध दस्तावेज की छाया प्रति, केवाला नं 6121 दिनांक 21.11.11 की छाया प्रति,जमाबंदी नं० 276 से संबंधित मालगुजारी रसीद की छाया प्रति, अभिलेखागार समाहरणालय सहरसा से अपीलार्थी को दिनांक 27.07.13 को निर्गत सूचना की छाया प्रति एवं अंचल द्वारा दिनांक 01.05.12 को निर्गत सूचना की छायाप्रति दाखिल किए

हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने वहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी निम्न न्यायालय में वादी थे। अपीलार्थी का दावा यह है कि पूर्व जमींदार द्वारा पूराना खाता सं० 444 पूराना खेसरा सं० 3278 का कुल रकवा–2 बीघा 11 कट्ठा 12 धूर भूमि की बंदोबस्ती को गलत बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने बहस के कम में यह भी कथन करते है कि अपीलार्थी का प्रश्नगत विवादी भूमि पर दावा नहीं बनता है। उनका यह दावा भी निराधार है कि पूर्व जमींदार द्वारा कुल रकवा 2 बीघा 11 कट्ठा 12 धूर भूमि अपीलार्थी के पिता ोभा कांत कुमर को बंदोबस्त किया गया तथा भेर्स्टिग के समय पूर्व जमींदार द्वारा रिर्टन अपीलार्थी के पिता ोभा कांत कुंवर के नाम से दाखिल किया गया।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि मौजा–गोविन्दपुर के खाता सं०–444, खेसरा सं०–3278 की कुल खतियानी रकवा–2 बीघा 11 कट्ठा 12 धूर खतियान में दर्ज है। उक्त खाता खेसरा के उत्तर तरफ से प्रतिवादी के दादा अधिक लाल यादव अपनी पत्नी कारी देवी के नाम उक्त खेसरा के अलावा अन्य खेसरा सहित रकवा 2 बीघा 18 कट्ठा वजरिये परमानगी के द्वारा प्राप्त है, जिसके आधार पर भूतपूर्व जमींदार के सिरिस्तें में कारी देवी के नाम से जमाबंदी नं०–133/4 कायम कराकर भूमि पर भोग तसरूफ करते आ रहे हैं वो कारी देवी के मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजेन्द्र यादव उक्त भूमि पर दखलकार हुए। राजेन्द्र यादव के स्वर्गवासी होने के बाद उनके पुत्रगण दखलकार होकर भोग तसरूक करते चले आ रहे हैं। जमींदारी के बिहार सरकार में निहित होने के बाद जमींदार द्वारा रिर्टन कारी देवी के नाम से दाखिल किया, तद्नुसार बिहार सरकार के जमाबंदी पंजी में जमाबंदी सं०–133/4 कारी देवी के नाम कायम हुआ। अद्यतन लगान भुगतान रसीद प्राप्त करते रहे हैं वो अंचल कार्यालय प्रतापगंज के द्वारा भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र विवेकानंद यादव के नाम से निर्गत है। हाल सर्वे कार्यवाही के दौरान दखल कब्जा के आधार पर नया खेसरा सं०–5238 रकवा– 01 एकड़ 78 डी० कारी देवी के नाम दर्ज हुआ वो विवादित जमीन 1 विघा 15 कट्ठा पर शुरू से अद्यतन दखल कब्जा एवं दखलकार होना बतलाते है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्नन्यायालय के आवेदन अर्जी में वर्णित भूमि का खाता खेसरा माना सही है लेकिन इस खेसरा के रकवा–2 बीघा 14 कट्ठा 12 धूर में से मात्र 0–19–12 कट्ठा जमीन ही बंदोबस्त थी। शेष जमीन प्रतिवादी के पूर्वज को बंदोबस्त थी, जिसपर प्रतिवादी दखलकार चला आ रहा है। उक्त 0–19–12 धूर जमीन प्रतिवादी के दक्षिण तरफ थी, जिससे होकर नहर गई। नहर में करीब 3 कट्ठा से अधिक अधिग्रहित हुआ। वादी को केवल 13 कट्ठा कुछ धूर जमीन ही बची रह गई उसमें से 6 कट्ठा वासदेव यादव वो 3 कट्ठा 17 धूर कृपानंद यादव वो एक कट्ठा रामचन्द्र यादव को केवाला द्वारा बेच दिया इस प्रकार तीनों केवाला मिलाकर 10 कट्ठा 17 धूर जमीन बेच चुके हैं अब शेष करीब 3 कट्ठा कुछ धूर ही बच गई बतलाते है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/वादी के पिता के नाम मात्र 19 कट्ठा 12 धूर ही बंदोबस्त था। प्रतिवादी के जमीन हड़पने के नियत से जाल–फरेब है। निम्नन्यायालय के आवेदन अर्जी के कंडिका–3 में अपीलार्थी/वादी के पिता के नाम जमाबंदी सं०–126/4 से कही गई है, लेकिन जमाबंदी सं०–126/4 में कोई खेसरा वो रकवा अंकित नहीं है। जमाबंदी संख्या 251 में भी खाता सं०–444 दर्ज करा लिया गया है लेकिन उसमें भी खेसरा वो रकबा अंकित नहीं है। खेसरा सं०–3278 की रकवा न तो अपीलार्थी/वादी के रसीद पर अंकित हे और न ही जमाबंदी पर वो खाता 444 खेसरा 3278 की अलग स रकबा 2–11–12 धुर कही से प्रदर्शित नहीं कर सकते है कि उन्हें बन्दोबस्त है। धारा 107 द0प्र0स0 11 द्र0प्र0स की कार्रवाई अपास्त हो चुका है वो वादी और प्रतिवादी का Right & tittle Interest एवं स्वत्व का गंभीर मामला निहित है

जिसका फैसला केवल व्यवहार न्यायालय ही कर सकती है ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा